प्रेस- नोट थाना बेलघाट गोरखपुर दिनांक 09.01.2023

गैंगेस्टर एक्ट के वांछित 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार

विधिक कार्यवाही किया जा रहा है।

घटना का संक्षिप्त विवरण- अभियुक्तगण द्वारा गांव देहात की भोली भाली जनता को विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी, जालसाजी कर धन अर्जित करते थे जिससे अपने व अपने गैंग के सदस्यो, परिवारजनो को भौतिक व बुनियादी लाभ पहुंचाते थे इनके जालसाजी षडयन्त्र व आपराधिक कृत्यो से जनता में भय व आतंक का वातावरण व्याप्त था जिसके क्रम में वादिनी मुकदमा द्वारा थाना बेलघाट पर मु0अ0सं0 141/2022 धारा 420,406,506 भादिव पंजीकृत हुआ बाद आरोप पत्र गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गई जिन्हे मुखबिर की सूचना गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

- 1. प्रेमचन्द निषाद पुत्र राम जियावन निवासी ग्राम पोछिअहवा टोला नटुआ ज्ञानपार थाना झगहां जनपद गोरखपुर।
- 2. राजकुमार निषाद पुत्र रामदेव निषाद निवासी ग्राम पोछिअहवा टोला नदुआ ज्ञानपार थाना झगहां जनपद गोरखपुर।

अभियुक्तगण का अपराधिक इतिहास–

- 1. मु0अ0सं0- 141/2022 धारा 420,406,506 भादवि थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर।
- 2. मु0अ0सं0 319/2022 धारा 3(1) 30प्र0 गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर।

गिरफ्तारी में शामिल पुलिस टीम का विवरण-

- 1. थानाध्यक्ष चन्द्रभान सिंह थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर
- 2. उ0नि0 अजीत कुमार यादव थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर।
- 3. उ0नि0 आरिफ अली शेर थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर।
- 4. 30नि0 अंजय कुमार सिंह थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर।
- 5. का0 अखण्ड प्रताप सिंह थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर।
- 6. का0 जितेन्द्र यादव थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर।
- 7. का0 अमरनाथ यादव थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर।